विचार बिन्दु

जो वस्तु आनंद प्रदान नहीं कर सकती, वह सुन्दर हो ही नहीं सकती। –प्रेमचंद

अल्पसंख्यक कौन? आरक्षण किसके लिये? और भारतीय संविधान क्या कहता है?

वर्तमान में भारत की संसद (लोक सभा) के चुनाव सात चरणों में प्रारम्भ हो चुके हैं। दिनांक 04.06.2024 के परिणाम आवेंगे। भारत के संविधान और उसके तहत् बनाये गये कानूनों के अनुसार चुनाव होंगे। जिस राजनीतिक पार्टी व उसके घटक दलों के संसद सदस्य बहुमत में होंगे वे देश की सरकार को संविधान के अनुसार संचालित करेंगे। लोकतंत्र के इस महामेले में मुख्य कलाकार हैं भाजपा व उसके घटक दल बनाम कांग्रेस व उसके घटक दल आदि। सभी मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने अपने-अपने चुनाव मैनिफेस्टो (घोषणा पत्र) जारी कर दिये हैं और दिल खोलकर धन व सुविधायें मतदाताओं पर न्यौछावर कर दी हैं। बिना सोचे-समझे कि यह राशि कहां से आयेगी। चुनाव मुख्यत: बेरोजगारी, नौकरी, गरीबी हटाओ, आरक्षण आदि विषयों पर लडे जा रहे हैं। राजनीति मुख्यत: इन्हीं मुद्दों पर केन्द्रित हो गई है। कांग्रेस का विशेषकर नेता राहुल जी का आरोप है कि भाजपा संविधान ही बदलना चाहती है यानी समाप्त कर नया संविधान बनाना चाहती है। कांग्रेस का दूसरा आरोप है भाजपा आरक्षण समाप्त करना चाहती है। इसके सहारे कांग्रेस, एससी, एसटी व ओबीसी के मतों को अपनी ओर करना चाहती है।

देश का दुर्भाग्य है कि केन्द्र में जो भी सरकार आई चाहे वह कांग्रेस की हो अथवा भाजपा की उसने खुले रूप में अपनी मेजोरिटी का बेजा फायदा उठाया और संविधान का अपमान किया। संविधान में संशोधन किये गये हैं उनमें कई ऐसे संशोधन हैं जो संविधान के Basic Structure (मूल ढाँचे) के विपरीत है। अनुच्छेद 45 व अनुच्छेद 334 इसके उदाहरण हैं।

कांग्रेस व भाजपा दोनों ही किसी न किसी रूप में जाति व धर्म के नाम पर मतदान चाह रहे हैं। यह एक-दूसरे के विरूद्ध उनका आरोप है। भाजपा ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि वे धर्म के नाम पर मुस्लिम मतों का आरक्षण न करें। उन्हें वोट बैंक न समझें। संविधान दोनों को समान अधिकार देता है वस्तुत: भाजपा कहती है कि उसका कथन मुस्लिम विरोधी नहीं है, अपितु कांग्रेस के तुष्टीकरण के व्यवहार के प्रति है। पीएम मोदी ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुये कहा, 'कांग्रेस आरक्षण से छेडछाड इसलिये कर रही है, क्योंकि वह धर्म के नाम पर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। आरक्षण क्या है, संविधान निर्माताओं ने इसकी आवश्यकता क्यों कर समझी? संविधान का अध्ययन करने पर स्पष्ट होगा कि सामाजिक विषमता के कारण दलितों को आरक्षण दिया गया, इससे जाति व धर्म का कोई संबंध नहीं है। यों भी अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। देश धर्म निरपेक्ष है और धर्म के मामलों में प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार की स्वतंत्रता है। दलितों और पिछडों के लिये शिक्षा व नौकरियों के अवसर ही समता होगा, इसका विशद विवेचन अनुच्छेद 16 में दिया है।

अल्पसंख्यक कौन हैं इसका उत्तर सरल है। बहुसंख्यक के विपरीत जो हैं वे अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार है और अपनी संस्कृति के संरक्षण का मूल अधिकार भी है। संविधान के भाग 16 में लोकसभा में तथा विधान सभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों के विशेष आरक्षण के प्रावधान है। इस प्रकार के आरक्षण को राजनीतिक आरक्षण का नाम दिया जा सकता है। इस संबंध में अनुच्छेद 334 में स्पष्ट आदेशात्मक निर्देश दिये थे कि ये प्रावधान संविधान के लागू होने के दस वर्ष की अवधि के पश्चात् स्वत: ही प्रभावी नहीं रहेंगे। अनुच्छेद 334 में विधान सभा व संसद के लिये एसटी व एससी का आरक्षण है। यह केवल 10 साल के लिये था, किन्तु इसे प्रत्येक 10 के बाद बढ़ा दिया जाता है। जबकि 10 साल के बाद यह स्वत: ही समाप्त हो चुका था उसे 80 वर्ष तक कैसे माना जा सकता है।

टीएमपाई फाउण्डेशन के केस में 11 जजों की बडी पीठ ने यह निश्चित कर दिया कि अल्पसंख्यक की घोषणा का अधिकार राज्य सरकार का है। इस निर्णय में यह भी स्पष्ट कर दिया कि पंजाब में जहां सिख बहुसंख्यक हैं वहां हिन्दू अल्पसंख्यक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में ईसाइयों की अपेक्षा हिन्दू अल्पसंख्यक है। सोचिये, क्या इस नियम के अनुसार कश्मीर में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बात कही है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया है। जाति धर्म के आधार पर मण्डल कमीशन ने हिन्दू और अहिन्दू धार्मिक लोगों को दो वर्गों में बांट दिया। अहिन्दुओं में इन्द्रा साहनी के केस में मुस्लिम, बौद्ध, इसाई, जैन आदि को रखा गया। इसके विपरीत भारत सरकार सन् 1992 में माइनोरिटी कमीशन एक्ट लेकर आई, इसमें अल्पसंख्यक को यह कहकर परिभाषित किया कि अल्पसंख्यक वे हैं, जिन्हें भारत सरकार विज्ञप्ति जारी कर गजट में प्रकाशित करे। मुसलमानों को इस अधिनियम के तहत् अल्पसंख्यक घोषित किया। यह परिभाषा निरंकुश है और अवैध है। मुसलमानों तथा सिख, बौद्ध, ईसाईयों आदि को अल्पसंख्यक मानकर कई प्रकार की सौगातें उन्हें दी जा रही हैं। यहां इतना ही लिखना उचित होगा कि जैनों को 2003 में धार्मिक अल्पसंख्यक माना है।

देश की राजनीति में 1992 के उक्त एक्ट की अल्पसंख्यक की परिभाषा ने भूचाल पैदा कर दिया। हिन्दुओं और मुसलमानों को दो समूहों में बांट दिया। देश के लोगों में कटुता का बीज यहीं से बोया गया है। संविधान के अनुसार नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आरक्षण का विषय सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थानों में सीटों से है। इस आरक्षण का आधार एदर्म्न्ट व्लैम (सामाजिक न्याय) है। अनुच्छेद 334 में जो आरक्षण है वह राजनीतिक आरक्षण है। इसके अतिरिक्त एक अन्य आरक्षण नेशनल माइनोरिटी एक्ट 1992 के तहत् है जिसे मुस्लिम बन्धु अपने को अल्पसंख्यक मानकर प्राप्त कर रहे हैं।

> **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बात कही है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया है। जाति धर्म के आधार पर मण्डल कमीशन ने हिन्दू और अहिन्दू धार्मिक लोगों को दो वर्गों में बांट दिया। अहिन्दुओं में इन्द्रा साहनी के केस में मुस्लिम, बौद्ध, इसाई, जैन आदि को रखा गया।**

वर्तमान चुनावों में दो नारे कांग्रेस व संगठन INDIA के हैं। राहुल जी प्रत्येक चुनाव सभा में, जो देश के किसी भी कोने में हो ये दो नारों की गूंज सुनाई देती है। पहला नारा है मोदी सरकार आरक्षण समाप्त करना चाहती है तथा दूसरा है मोदी सरकार संविधान ही समाप्त करना चाहती है।

राहुल जी कहते हैं, 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा समाप्त की जावे। जातियों की गणना होनी चाहिये। मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी सरकार धर्म के नाम पर आरक्षण के विरूद्ध है। उन्होंने तेलंगाना में जनसभा में कहा कि वे 'धर्म के आधार पर मुसलमानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व ओबीसी और अन्य समूहों को आरक्षण नहीं देने देंगे'। इसी बात को गृहमंत्री ने दोहराया और फेक वीडियो की निन्दा की। मोहन भागवत ने भी कहा कि संघ कभी भी आरक्षण का विरोधी नहीं रहा। जो सुविधा दलितों व वंचितों को संविधान ने दी हैं वे उन्हें मिलनी चाहिये। शाह ने असम में एक जनसभा में कहा कि यह कांग्रेस है जिसने एसी, एसटी, ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित किया है। शाह ने कहा कर्नाटक में ओबीसी की श्रेणी में मुसलमानों को डाला है। देश के न्यायालयों ने इसे अवैध माना है।

इन्द्रा साहनी के केस में स्पष्ट रूप से निर्णय हुआ है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऊपर लिखा गया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया गया है। एनडीए ने जो विभिन्न योजनायें जनहित में बनाई हैं उनके फलस्वरूप दलितों व पिछड़ों का Upliftment हुआ हैं। देश के लोग चाहते हैं कि जिन्हें आरक्षण मिला है, वे क्रिमीलेयर में आ चुके हैं। उन्हें आरक्षण का लाभ न मिले और यह लाभ बचे हुये दलित व अति दलित पिछडों को दिया जावे।

मोदी सरकार संविधान को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि यह संभव नहीं है। संविधान में संशोधन हो सकता है, किन्तु संविधान की मूल संरचना में कोई संशोधन नहीं हो सकता। संविधान की सात बुनियादी संरचना है, उनमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ही बहुत कठिन है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि झगडे की जड़ The National Minority Act, 1992 है, जिसमें अल्पसंख्यक को यह कहकर परिभाषित किया है कि अल्पसंख्यक वे हैं जिसे भारत सरकार गजट में विज्ञप्ति जारी कर बता दे। यह परिभाषा विवेकहीन है। देश धर्म निरपेक्ष है। अपने धर्म को मानने की सभी को पूर्ण स्वतंत्रता है। धर्म के नाम पर विभेद नहीं हो सकता।

देश के विभाजन के बाद, जो लोग भारत के नागरिक हुये वे सब समान है। हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, आदि सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार हैं। हिन्दुओं में सामाजिक दृष्टि से पिछडे व दलित थे और कट्टर हिन्दू पंथियों के अहम् का शिकार रहे थे। उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के हेतु संविधान में प्रावधान रखे गये। आरक्षण की यही फिलोसफी थी। इन्द्रा साहनी केस में संविधान की वृहत पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जैसे-जैसे इन पिछडों का पिछडापन खत्म होगा। ये लोग क्रिमीलेयर में आने के कारण पिछडे नहीं रहेंगे। पिछडों में अब मंत्री भी हैं, पुलिस उच्च अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, एडवोकेट हैं। सोचो, क्या उनका परिवार अभी भी आरक्षण प्राप्त करता रहेगा? आजादी के 75 साल बाद भी देश में दलित व पिछडे हैं यह शर्म की बात है। समय आ गया है जब देश की संसद को निर्णय लेना होगा कि वे कितने वर्ष और लेंगे इस पिछडेपन को समाप्त करने में?

देश का दुर्भाग्य है कि देश में किसी की भी सरकार रही हो, उसके संविधान की पालना कटिबद्धता के साथ नहीं की। निम्नलिखित कुछ प्रसंग इस लेख में दिये जा रहे हैं :-

(अ) देश में पिछडापन तो समाप्त हो रहा है, किन्तु इन्द्रा साहनी व एम नागराज के केस में निर्धारित क्रिमीलेयर के सिद्धान्त की पालना नहीं हो रही है।

(ब) अनुच्छेद 334 के अनुसार लोक सभा व विधान सभाओं के लिये कुछ सीटें एसटी व एससी के लिये आरक्षित की गई थीं। यह आरक्षण 10 वर्ष का था। समय की अवधि आदेशात्मक थी अर्थात् 10 वर्ष के पश्चात् यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहेगा। जो भी सरकार आई उसने आंख बंद कर समय की सीमा को प्रत्येक 10 वर्ष बाद बढ़ाया और आज संविधान में 80 वर्ष की अवधि पढ़ने को मिलती है।

(स) संविधान के चेप्टर-IV में नीति निदेशन तत्व दिये हैं जो यह दर्शाते हैं कि हमें शीघ्र से शीघ्र देश को एक महान गणतंत्र बनाना था और यह कार्य तभी पूरा होता जब शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होती, अत: संविधान के अनुच्छेद 45 में यह निर्देश दिया कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष की अवधि में प्रत्येक 14 वर्ष का बालक को अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। इसका अर्थ था देश का प्रत्येक बालक 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त 1960 तक प्राप्त करेगा; किन्तु जिस रूप में अनुच्छेद 45 व अनुच्छेद 21ए का संशोधन हुआ है, उसके परिणास्वरूप 6 वर्ष के बालक को आज नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। फलस्वरूप आज भी संसद व विधान सभाओं में बिना पढ़े-लिखे व कम पढ़े लोग देश के लिये कानून बना रहे हैं। चुनावों में खड़ा होने के लिये शिक्षा की अनिवार्यता होनी चाहिये।

(द) संविधान में अनुच्छेद 35ए जोड़ा गया; किन्तु उसे राष्ट्रपति की आज्ञा से ही जोड़ दिया। जबकि संविधान में संशोधन की अलग से प्रक्रिया दी हुई है।

(य) संविधान में अनुच्छेद 51क के रूप में हमने नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों की घोषणा की, किन्तु इस प्रावधान को प्रवर्तनीय नहीं बनाया।

उपरोक्त विषयों पर हमें चिन्तन व मनन करना होगा।

–अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

भगवान परशुराम

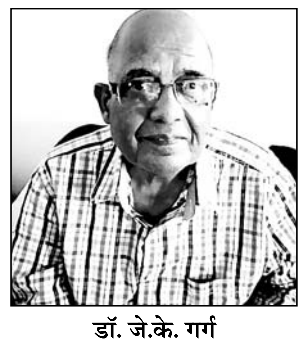

डॉ. जे.के. गर्ग

महर्षि जमदग्नि आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्वामी थे जिन्हें आग पर नियंत्रण पाने व उनकी पत्नी रेणुका को पानी पर नियंत्रण पाने का वरदान था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि ने पुत्र प्राप्ति हेतु देवराज इन्द्र को प्रसन्न करने के लिये पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। देवराज इन्द्र के वरदान के फलस्वरूप महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्यप्रदेश ग्राम मानपुर (इंदौर जिला) में एक अद्भुत प्रतिभाशाली पुत्र का जन्म हुआ जो कालांतर में भगवान परशुराम के नाम से विख्यात हुए। भगवान परशुराम को अमर रहने का वरदान मिला था और यह भी कहा जाता है कि वे आज भी हमारे बीच मौजूद हैं तथा कलियुग के अंत में वे विष्णु के दसवें अवतार के रूप में जन्म लेंगे।

परशुराम गायत्री मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से मनुष्य को अपने दुखों से छुटकारा मिलता है और कठिनाइयों से लड़ने के लिए साहस का संचार होता है। सनातन धर्म में परशुराम के बारे में माना जाता है कि वे त्रेतायुग और द्वापर युग से अमर हैं। परशुराम जी के जन्म के एवं जन्मस्थान के पीछे कई मान्यताएं एवं अनसुलझे सवाल है। परशुराम जी ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिये अनेक बार तपस्या पूजा-अर्चना की थी। शिवजी ने परशुराम को वरदान देते हुए कहा कि परशुराम का जन्म धरती के राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ है। इसलिए भगवान शिव ने परशुराम को, देवताओं के सभी शत्रु, दैत्य, राक्षस तथा दानवों को मारने में सक्षमता का वरदान दिया। हिन्दू धर्म में विश्वास रखने वाले अनेक ज्ञानी, पंडितों के मतानुसार धरती पर रहने वालों में परशुराम और रावण के पुत्र इंद्रजीत को ही सबसे खतरनाक, अद्वितीय और शक्तिशाली अस्त्र-ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पशुपति अस्त्र प्राप्त थे।

दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है : परशु अर्थात कुल्हाड़ी तथा राम, इन दो शब्दों को मिलाने पर कुल्हाड़ी के साथ राम अर्थ निकलता है। जैसे- राम, भगवान विष्णु के अवतार हैं। उसी प्रकार परशुराम भी विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम ने सीता स्वयंवर के समय राजा जनक की शर्त की अनुपालन में भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया और उनका माता सीता के साथ विवाह हो गया। शिव धनुष के तोड़े जाने के समाचार को सुनकर शिव भक्त परशुराम अपना आपा खोकर क्रोधित होते हुवे राजा जनक की राज सभा पहुंचे। राज सभा में उनका लक्ष्मणजी के साथ वादविवाद हुआ और उनके मध्य लड़ाई की नोबत आ गई। मर्यादा पुरषोत्तम राम ने अत्यंत शालीनता के साथ उनसे बात करके उनके क्रोध को शांत किया। परशुराम को अपनी योग शक्ति से मालुम पड़ा कि उनके सामने भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम खुद खड़े हैं। अपने इस अनुभूति की पुष्टि करने के लिये परशुराम ने विष्णु का प्रिय धनुष गांडीव भगवान राम को देते हुए उसको संधान करने को कहा। भगवान राम ने एक तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाई और महर्षि परशुराम से कहा कि वे अब इस तीर को खाली नहीं छोड़ सकते। वे बताएं कि वे इसे किस पर चलाये। तब परशुराम जी ने भगवान राम से आग्रह किया कि वे उस तीर के माध्यम से उनके अहंकार को नष्ट करने की कृपा करें। इसके बाद परशुराम जी प्रसन्न मन से महेन्द्र पर्वत पर निवास करने के लिये चले गये। धार्मिक मान्यता है कि भगवान परशुराम जी को अमरता का वरदान प्राप्त है और आज भी वे उसी महेन्द्र पर्वत पर निवास करते हैं।

स्मरणीय है कि मार्शल आर्ट के संस्थापक भगवान परशुराम ही थे। कलरीपायट्ठ कलरीपायट्ठ भगवान परशुराम द्वारा प्रदान की गई शस्त्र विद्या है जिसे आज के युग में मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में आज भी मार्शल आर्ट प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ज़ैन बौद्ध धर्म के संस्थापक बोधिधर्म को भी इस प्रकार की विद्या की जानकारी प्राप्त की थी व अपनी चीन यात्रा के दौरान उन्होंने विशेष रूप से बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिये इस मार्शलआर्ट का भी उपयोग किया था। आगे चलकर वहां के निवासियों ने इस आर्ट का मूल रूप से प्रयोग कर शाओलिन कुंग फू मार्शल आर्ट की कला विकसित की।

भगवान परशुराम मूल रूप से ब्राह्मण थे किंतु फिर भी उनमें शस्त्रों की अतिरिक्त जानकारी थी और इसी कारणवश उन्हें एक क्षत्रिय भी कहा जाता है। परशुराम जी ने गोरी पुत्र गणेश जी का दांत तोड़ डाला जिसकी वजह से गणेश जी एक दंत विनायक कहलाये। भगवान परशुराम शिव के प्रियतम भक्त थे भगवान शिव ने ही उनको शस्त्र विद्या प्रदान की थी। देवों के देव महादेव ने परशुराम की अद्भुत प्रतिभा को देख कर उनको अपना परशु दिया था। जिसके पश्चात उनका नाम परशुराम पड़ा। शिव से परशु को पाने के बाद समस्त दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सकें। मान्यताओं के मुताबिक्र कृष्ण के विराट स्वरूप को अर्जुन के अतिरिक्त तीन अन्य लोगों ने भी देखा था जिनमें एक परशुराम जी भी थे। परशुराम जी की शिक्षा-दीक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं महर्षि ऋचीक के आश्रम में हुई थी। महर्षि ऋचीक ने परशुराम की योग्यता से प्रसन्न हो कर सारंग धनुष उपहार में दिया। परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया।

परशुराम जयंती हिन्दू पंचांग के वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिये गए पुण्य का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता है। अक्षय तृतीया से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। मध्यकालीन समय के बाद जब से हिन्दू धर्म का पुनरुद्धार हुआ है, तब से परशुराम जयंती का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इस दिन उपवास के साथ-साथ सर्व ब्राह्मण का जुलूस, सत्संग आयोजित किये जाते हैं। परशुराम जी की पूजा-अर्चना समस्त भारत में होती है। मान्यता अनुसार भारत के अधिकतर गांव परशुराम जी ने ही बसाए थे। उत्तर भारत से लेकर गोवा, केरल और तमिलनाडु तक परशुराम जी की आकर्षक मनमोहक प्रतिमाएं दिखाई देंगी।

परशुराम जयंती के दिन भव्य आकर्षक जुलूस, शोभायात्रा निकाली जाती हैं। परशुराम भगवान के नाम पर उनके मंदिरों में हवन-पूजन का आयोजन किया जाता है। सभी लोग पूजा में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और दान आदि करते हैं। भगवान परशुराम के नाम पर जगह-जगह भंडारे का आयोजन होते हैं और सभी श्रद्धालु इस भोजन प्रसादी का लाभ उठाते हैं। कुछ लोग इस दिन उपवास रख कर परमात्मा से भगवान परशुराम की तरह पुत्र देने की प्रार्थना करते हैं। वराह पुराण के अनुसार परशुराम जी के जन्म दिन पर उपवास रखने एवं परशुराम पूजा-अर्चना करने से अगले जन्म में उनको राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा।

–डॉ.जे.के. गर्ग,
पूर्व संयुक्त निदेशक कालेज शिक्षा जयपुर

पानी की समस्या को लेकर परेशान ग्रामीण टंकी पर चढ़े

लूणी विधानसभा क्षेत्र के उत्तेसर में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जिले के लूणी विधानसभा क्षेत्र के उत्तेसर में पानी की समस्या को लेकर परेशान ग्रामीणों ने अब धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है।

पानी की मांग को लेकर ग्रामीण गांव में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। इनमें कई महिलाएं भी शामिल है। सभी ने पानी की सप्लाई सुचारु करने की मांग की।

उत्तेसर पंचायत के सरपंच श्रवण कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में तीन गांव आते हैं। यहां पेयजल के विकट समस्या है। उत्तेसर गांव में पानी के लिए जलाशय बना हुआ है लेकिन यहां पर सात साल से पेयजल नहीं भरा गया है। इसके चलते गर्मियों के समय पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। गांव में पानी की लाइन भी बिछी हुई है लेकिन वहां भी पर्याप्त सप्लाई नहीं की जा रही है। 5000 घरों की आबादी वाले इस गांव में रहने वाले लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

> ■ **ग्रामीणों के अनुसार गांव में बने जलाशय में करीब सात साल से पानी नहीं भरा गया है**

उन्होंने बताया कि सरकारी स्तर पर 5000 की आबादी पर महज एक ही टैंकर भेजा जा रहा है। तीनों गांव में सिर्फ एक टैंकर भेजा जा रहा है जो अपर्याप्त है। गांव में पानी की टंकी बने हुए सात साल हो गए लेकिन अभी तक उसमें पानी नहीं भरा गया है। गर्मियों के इस मौसम में यहां रहने वाले लोगों के साथ ही पशु-पक्षी भी परेशान हो रहे हैं।

इतिहास में अनूठी है बीकानेर राज्य की स्थापना की कहानी

(537 वां स्थापना दिवस)

डॉ. दुलीचन्द मीणा

सूंटौ आ जद धर पर चालै,
खंख उडै बादळ रे रूप।
सूरज रो तप मंदौ पड़ज्या, ज्यूं गादीं सूं उतर्यां भूप।
पांख पंखेरू पड़ै टपाटप, टूटै जन जीवण री आस।
मानौ मौत धरा पर घूमै, करण चराचर रो चिरनास

उदयवीर शर्मा द्वारा रचित कविता 'सूंटौ' की उक्त पंक्तियाँ हिंदुस्तान के महा मरूस्थल में स्थित जांगल प्रदेश की तत्कालीन भौगोलिक परिस्थितियों को इंगित करती है जहां चंहुओर रेत का समंदर तथा बूंद-बूंद पानी को तरसता मानव एवं जीव-जन्तु अपने अस्तित्व को बचाने के लिये विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों से मुकाबला कर रहे थे।

थार का मरूस्थल कभी समुन्द्र की लहरों से आह्लादित होता था इस क्षेत्र में मिलने वाले शंख, सीपी, बजरी, गुलगचिया, नमक, कोयला, दलदल इत्यादि से यह तथ्य प्रमाणित होता है। वेदो के अनुसार भी इस क्षेत्र में कभी सरस्वती एवं दृषद्वती नदी प्रवाहित होती थी। विलुप्त सरस्वती नदी के अवशेष इस क्षेत्र में घग्घर नदी में मिलते है। इस क्षेत्र में प्राचीनकालीन सभ्यता एवं संस्कृति के अवशेष रंगमहल, बडोपल, कालीबंगा क्षेत्रों में मिले है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि ने कोलायत में अपनी माता देवहुति को ज्ञान दिया था। ऋषि दत्तात्रेय से दियातरा, च्यवन ऋषि से चांनी गांव तथा गुरू द्रोणाचार्य से छापर द्रोणपुर जाने जाते है। महाभारत काल में जांगल प्रदेश कुरू साम्राज्य का अंग था। यह प्रदेश बाद में शूद्रक, मोर्य, कुषाण एवं गुप्त साम्राज्य का हिस्सा रहा। इस क्षेत्र पर हर्षवर्धन के बाद यौद्धेय, सांखला (परमार), जोहिया, भाटियों एवं जाटो का अधिकार रहा। इन सभी पर विजय प्राप्त कर राव बीकाजी ने बीकानेर नामक एक अलग राज्य की स्थापना की।

राव बीका का जन्म जोधपुर के राजा राव जोधा की सांखली रानी नौरंगदे से 5 अगस्त 1438 को हुआ। एक दिन दरबार में बीकाजी एवं उसके चाचा कांधल जी आपस में वार्तालाप कर रहे थे, उनको देखकर राव जोधा ने व्यंगात्मक भाषा में पूछा कि, "आज चाचा-भतीजे क्या सलाह कर रहै है, क्या कोई नया ठिकाना जीतने की बात हो रही है?" कांधल ने उत्तर दिया कि, "आपके प्रताप से यह भी हो जायेगा।" उन दिनों जांगलू का नापा सांखला भी दरबार में आया हुआ था, क्योकि जांगलू प्रदेश पर बिलोचों के आक्रमण हो रहें थे जिससे कुछ सांखले उस स्थान को छोडकर अन्यत्र जा रहे थे। नापा सांखला ने राव जोधा को बताया कि, "यदि आप चाहो तो सरलता से वहां अधिकार किया जा सकता है!" राव जोधा को यह बात पंसद आई और उन्होने बीका और कांधल को नापा के साथ जाकर नया राज्य स्थापित करने की आज्ञा दे दी। तब बीका ने अपने चाचा कांधल, रूपा, मांडण, मंडला, नाथु भाईजोगा, पडिहार बेला, नापा सांखला इत्यादि अन्य राजपूतों के साथ जोधपुर से 30 सिंतबर 1465 को प्रस्थान किया इस अवसर पर बीका के साथ 100 घोडे एवं 500 राजपूत थे। बीका ने मण्डोर होते हुए गोरेजीभैरूजी की मूर्ति को साथ लेकर देशनोक पहुंचकर श्री करणी माता के दर्शन किये तथा मां करणी ने आर्शीवाद देते हुए कहा कि, "तेरा प्रताप जोधा से सवाया बढेगा बहुत से भूपति तेरे चाकर होंगे तथा साथ आये भैरूं जी की सेवा अच्छी तरह करना!"

उसके बाद बीकाजी चांडासर चले गये जहां वे 3 वर्ष निवास कर पुन: देशनोक आ गये जहां 6 वर्ष निवास कर कोडमदेसर गये। वहां तालाब के किनारे श्री गोरेजीभैरूजी की मूर्ति पधराई एवं स्वयम् को राजा घोषित किया उसके पश्चात जांगलू पहुंच कर 84 गांवो को अपने अधीन किया । श्री करणी जी के आदेश से बीकाजी ने पुगल के राव शेखा की पुत्री रंगकुवंरी के साथ विवाह किया। राव बीका ने शुभ शगुन देखकर राती घाटी पर श्री करणी माता के हाथो से किले की नींव रखवाई तथा विक्रम संवत 1545 बैसाख सुदि दूज 12.4.1488 को किले के पास बीकानेर नगर बसाया।

कला, साहित्य एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बीकानेर की एक समृद्ध पंरपरा रही है। महाराजा अनूप सिंह साहित्य के बडे संरक्षक थें जिन्होने अनूप संस्कृत लाइब्रेरी की स्थापना की। राजकवि पृथ्वीराज जी डिंगल भाषा के कवि थे जिन्होने वेलि कृष्ण रूकमणी री की रचना की। महाराजा गंगा सिंह जी ने इटली के विद्वान एलपी तैस्तोरी को राजस्थानी भाषा, व्याकरण एवं साहित्य को समृद्ध करने के लिये नियुक्त किया। अगरचंद नाहटा, डॉ विधाधर, सूर्यकरण पारिक एवं श्री गिरधारी सिंह राजस्थानी साहित्य के प्रमुख विद्वान रहें है। बीकानेर रियासत में धार्मिक दृष्टि से श्री करणी माता का मंदिर, पर्यावरण एवं जीव रक्षक विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक संत श्री जाम्भौ जी महाराज, श्री जसनाथ जी, श्री गोगाजी, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, जैन भाण्डेश्वर मंदिर प्रमुख है। चित्रकला की मथेरण कला एवं उस्ता कला, संगीत की माण्डराग में अल्लाहजिलाईबाई एवं पदमश्री अली-घनी, स्थापत्य कला में दुलमेरा के लाल पत्थर की कारीगरी से निर्मित हवेलिंयाँ, छतरिया एवं झरोखे, मूर्ति कला में पल्लू से प्राप्त बारहवीं सदी की विद्या के देवी सरस्वती की मूर्ति, नाट्य कला में रम्मत नाट्य प्रमुख स्थान रखते है। बीकानेर ऊंट, मिठाई, स्त्री के सोना गहना, सेठ साहुकारों के लिये प्रसिद्ध है। यहां के व्यापारियों ने विपरित भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद देश-विदेश में बीकानेर का नाम रोशन किया है। इन विपरित भौगोलिक परिस्थितियों ने रेगीस्तान के आदमी को साहसी, मेहनती, झुझारू, संधर्षशील, धैर्यवान एवं सृजनशील बनाया। सामान्यत: शहरीकरण नदी एवं नहरों के किनारे होता था लेकिन यहां के शासकों ने मरूस्थल में श्री डूंगरगढ, अनुपगढ एवं श्रीगंगानगर जैसे शहर बसा कर शहरीकरण की दिशा में नये आयाम स्थापित किर्ये। महाराजा श्री गंगासिंह जी बीकानेर रियासत में 26.10.1927 को मरूस्थल में गंगनहर का निर्माण कार्य पूरा करवाकर आधुनिक भारत के भागीरथ बने जिसकी प्रेरणा से बाद में राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण हुआ जो इस रेतीले मरूस्थल के लिये जीवन दायिनी है।

–डॉ. दुलीचंद मीणा,
आरएएस

राशिफल शुक्रवार 10 मई, 2024

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, रोहिणी नक्षत्र दिन 10:47 तक, अतिगंड योग दिन 12:06 तक, तैतिल करण दिन 3:34 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 10:26 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-वृष, मंगल-मीन, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मेष, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज यमघट योग सूर्योदय से दिन 10:47 तक है। राजयोग दिन 10:47 से रात्रि 2:51 तक है। रवियोग दिन 10:47 से आरम्भ होगा। आज बुध मेष राशि में सांय 6:43 पर प्रवेश करेगा। आज अक्षया तीज (स्वयं सिद्ध अबूझ मुर्हूत) है। आज अक्षया तृतीया, श्री परशुराम जयन्ती, त्रेतायुगादि, कल्पादि, रोहिणी व्रत है। आज से जिलफान मु.मास 11 आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:25 तक, लाभ-अमृत 7:25 से 10:44 तक, शुभ 12:23 से 2:02 तक, चर 5:46 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:46, सूर्यास्त 7:00

मेष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे।

वृष

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यश्क कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
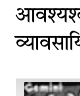

आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा। धन हानि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक खर्चों में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी।

कर्क
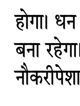

आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

कन्या

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आज धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

तुला

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

वृश्चिक
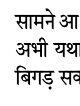

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
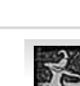

अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।

मकर
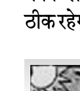

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिलेगा।

कुंभ
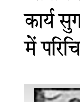

घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

मीन
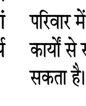

परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त हो सकते हैं। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।